

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(3)/ नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018 / 4743

दिनांक:- 13.09.2018

-:कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 60 के भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 243.48 वर्गगज (203.58 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री रामदयाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, ढण्ड कि ढाणी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावे।</li> <li>5. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li> </ol>
2.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 02 के भूखण्ड संख्या 5, 6, 11 व 12 क्षेत्रफल 1200.00 वर्गगज (1003.32 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री हितेश चौहान पुत्र श्री बन्शीलाल, जालौरी गेट, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली के पैरा-07 पर विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या-2 व 3 ग्राम ढण्ड से सम्बन्धित एक वाद दिलीप भारती व अन्य न्यायालय अपर सिविल न्यायाधिश (कनिष्ठ खण्ड) सं-2 जोधपुर महानगर में लंबित है।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>5. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या-1 के कम में जोन उपायुक्त की टिप्पणी ली जावे तथा आवेदित भूमि यदि वाद से प्रभावित नहीं है तो ही नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती जारी की जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में प्रस्तावित बेसमेन्ट निर्माण हेतु ग्राउण्ड वॉटर विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि पर निर्माण हेतु नागरीक उडडयन विभाग से अनापत्ति-पत्र लिया जावे।</li> <li>4. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>5. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन</li> </ol>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



			<p>विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>6. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>7. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</p>
3.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम गैवा के खसरा नम्बर 640 से 644, 646 से 651 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 8 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी (13799.78 वर्ग मीटर) पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती मधुबाला चौहान, डायरेक्टर मै. करणी डवलपर्स एण्ड कन्सल्टिंग कम्पनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जो0वि0प्रा द्वारा जारी पट्टा विलेख में रिसोर्ट व पट्टे के साथ जारी साईट प्लान में वाटर पार्क अंकित है तथा पूर्व में जारी साईट प्लान पर नगर विकास न्यास जोधपुर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम-2001 के अनुसार एम्पूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क के ही मानदण्ड अंकित किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है। अतः समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निर्णय अपेक्षित है-       <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में रिसोर्ट अथवा एम्पूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क में से किस के प्रावधानानुसार भवन निर्माण स्वीकृती जारी कि जानी है।</li> <li>प्रकरण में पूर्व में जारी साईट प्लान पर नगर विकास न्यास जोधपुर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम-2001 के एम्पूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क के ही मानदण्ड अंकित है जबकि प्रार्थी द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है।</li> </ol> </li> <li>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 80 फीट दर्शाया गया है, पट्टा विलेख में उक्त सड़क को 60 फीट दर्शाया गया है। आवेदित भूमि के उत्तर में स्थित भूमि पर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 126 वी बैठक दिनांक 19.06.2012 के एजेण्डा संख्या-16 में लिये गये निर्णय अनुसार "मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक की लम्बाई एवं 80 फीट चौड़ाई मानते हुये सड़क क्षेत्रफल की गणना कर तदानुसार सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि का वर्तमान मूल्य की राशि प्रार्थी द्वारा जो0वि0प्रा में जमा करवाई जावेगी।" उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त सड़क को 40 फीट से 80 फीट किये जाने हेतु अन्तर राशि कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा दी गयी है। जारी मांग पत्र व जमा राशि की रशीद की प्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में जोन स्तर पर सुनिश्चितता अपेक्षित है।</li> <li>प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट (निर्माण व सड़क के सम्बन्ध में) ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>प्रकरण में भवन विनियम के प्रावधानानुसार बिना स्वीकृती निर्माण शास्ति ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को एजेण्डा में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार को मार्गदर्शन बाबत भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात् भवन मानचित्र जारी किया जावे।</p>
4.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 827/850 एकल संस्थागत(शैक्षणिक व हॉस्टल) प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 9686.80 वर्गगज (8099.13 वर्ग मीटर) पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- अध्यक्ष श्रीमाली ब्राम्हण समाज, लूणी कंठा महासमा, धुन्धाडा, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>आवेदित भूमि पर पूर्व में भवन निर्मित है, जिस पर बिना स्वीकृती निर्माण की शास्ती ली जानी है।</li> <li>प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में गणना एफ0ए0आर के आधार पर की गयी है, अतः एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार संशोधित मानचित्र मय बी0ए0आर की गणना के साथ मंगवाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में विकलांगो हेतु दर्शाये गये रेम्प की लम्बाई कम है, अतः एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार संशोधित मानचित्र में विकलांगो हेतु समस्त प्रावधान रेम्प, टॉयलेट व पार्किंग इत्यादी का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने से नियमानुसार अपशिष्ट जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की जानी होगी तथा उक्त का प्रावधान संशोधित मानचित्र में दर्शाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> </ol>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



			<p>6. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावे।</p> <p>8. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षेत्र में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>2. प्रकरण में निर्मित निर्माण हेतु बिना स्वीकृती निर्माण शास्ति ली जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2017 के प्रावधानानुसार अनुसार समस्त मानदण्डों को दर्शाते हुये संशोधित भवन मानचित्र प्राप्त किये जावे।</li> <li>4. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>5. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol>
5.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 659 एकल सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 1495.73 वर्ग मीटर भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्री हरिदास व्यास अध्यक्ष सांचीहर ब्राह्मण समाज, निवासी-चौखा, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित सामुदायिक भवन में एकीकृत भवन विनियम अनुसार सिढीयों की चौड़ाई व कॉरिडोर की चौड़ाई रखी जानी है, जिसके लिये प्रार्थी से संशोधित भवन मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p><b>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि में प्रस्तावित बेसमेन्ट निर्माण हेतु ग्राउण्ड वॉटर विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावे।</li> <li>2. प्रार्थी द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2017 के प्रावधानानुसार अनुसार समस्त मानदण्डों को दर्शाते हुये संशोधित भवन मानचित्र प्राप्त किये जावे।</li> <li>3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>4. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol>
6.	पश्चिम	<p>श्याम नगर योजना के भूखण्ड संख्या-21, क्षेत्रफल 260.13 वर्ग मीटर पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती चन्द्रकांता जांगिड पत्नि श्री शत्रुघन जांगिड</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p><b>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि में प्रस्तावित बेसमेन्ट निर्माण हेतु ग्राउण्ड वॉटर विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावे।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol>



7.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 84, 85/1, 88/4 के सयुक्तीकृत भूखण्ड संख्या 540, 541, 564 व 565 क्षेत्रफल 555.55 वर्गगज (464.51 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती बीना कच्छवाह पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कच्छवाह, श्रीमती दिव्या कच्छवाह पत्नी श्री भूपेश कच्छवाह, श्री भूपेश कच्छवाह पुत्र स्व. श्री गजेन्द्र कच्छवाह व श्रीमती जया भाटी पत्नी डॉ. योगेश भाटी पुत्री स्व. श्री गजेन्द्र कच्छवाह, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में मानक बी.ए.आर. 2.00 से अतिरिक्त बी.ए.आर. 0.24 पर बेटरमेन्ट लेवी ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।</li> <li>5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में अतिरिक्त क्षेत्र पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</li> <li>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 व 3 के कम में अण्डरटेकिंग/शपथ-पत्र लिया जावें।</li> <li>3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के कम में बेसमेंट निर्माण हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावें तथा क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें।</li> <li>4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावें।</li> <li>5. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावें।</li> </ol>
8.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा संख्या 235/8 एकल आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 1936.00 वर्गगज (1618.69 वर्ग मीटर) पर आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री नरसिंह सांखला पुत्र श्री गोपीराम, निवासी मण्डोर, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग अपेक्षित है।</li> <li>3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. समिति के निर्णय एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 के कम में अण्डरटेकिंग/शपथ-पत्र लिया जावें।</li> <li>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 के कम में बेसमेंट निर्माण हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावें तथा क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें।</li> <li>3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के कम में संशोधित मानचित्र लिये जावें।</li> <li>4. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावें।</li> </ol>
9.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 41/12 क्षेत्रफल 272.01 वर्गगज (227.43 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री गुटाराम पुत्र श्री गुमानाराम।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु सं.8.7(vii) अनुसार अनुज्ञेय सेटबैक में आच्छादित क्षेत्र 25 प्रतिशत से कम प्राप्त होने के कारण अग्र सेटबैक को छोड़कर अन्य में शिथिलता चाही गयी है।</li> <li>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में अग्र सेटबैक को छोड़कर अन्य में शिथिलता दी जावें।</li> <li>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 व 3 के कम में अण्डरटेकिंग/</li> </ol>



			<p>शपथ-पत्र लिया जावे।</p> <p>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</p>
10.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत। राजस्व ग्राम पाल जोधपुर (जोधपुर मोटर्स और वार्कशॉप समिति) खसरा नम्बर 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 भूखण्ड संख्या 528 क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (18.58 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक:- श्री दिनेश राव पुत्र श्री लालचन्द राव, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु सं. 8.2.2 (ख) के बिन्दु (प) के अनुसार आवश्यक नहीं है। योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान किया गया है। 1 ई.सी.यु. हेतु शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>2. Plinth तक पहुँच हेतु Steps (सीढ़ियाँ) भूखण्ड से बाहर सड़क क्षेत्र में दर्शायी गयी है। इस हेतु मानचित्र में संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. पूर्व में भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2018 वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 के एजेण्डा संख्या 05 व 06 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है- "समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण व्यवसायिक योजना का भूखण्ड होने के कारण टाईप डिजाईन अनुमोदन हेतु उक्त योजना के एसोसियेशन को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा टाईप डिजाईन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।"</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त योजना में पूर्व में अधिकांश पट्टा विलेख भवन विनियम 2013 के अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावे।</li> <li>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 की पालना की जाकर मानचित्र जारी किये जावे तथा स्वीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाईन माना जावे।</li> <li>3. भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण समान आकार तथा माप के प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>4. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावे।</li> </ol>
11.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 229 के आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 2603.70 वर्गगज (2177.02 वर्ग मीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमति सुगन्धी बाहेती</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.3 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।</li> <li>3. निदेशक विधि की रिपोर्ट अनुसार प्रशनगत आवेदित भूखण्ड पर वर्तमान में न्यायलय में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> <li>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा उपायुक्त स्तर पर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
12.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत। राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1 वगैरह के भूखण्ड संख्या 92 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज (74.32 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक :- श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदक द्वारा जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 अनुसार मानचित्र प्रस्तुत किये है।</li> <li>2. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। अपेक्षित पार्किंग हेतु नियमानुसार शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. वर्तमान में एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू है, जिसमें नियमानुसार सेटबैक व पार्किंग के प्रावधान के परिपेक्ष्य में पूर्व बैठक दिनांक 08.06.2018 के एजेण्डा की प्रति अवलोकनीय है।</li> <li>4. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 तथा एकीकृत भवन विनियम-2017 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है।</li> <li>5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति दिनांक 07.06.2018 प्राप्त है। आवेदक से बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त योजना में पूर्व में अधिकांश पट्टा विलेख भवन विनियम 2013 के अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावे तथा स्वीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाईन माना जावे।</li> </ol>

Approved &  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5



			<p>जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण समान आकार तथा माप के प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत कराये जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावे।</li> </ol>
13.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत। राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1 वगैरह के भूखण्ड संख्या 92/ए क्षेत्रफल 60.00 वर्गगज (50.16 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक :- श्री अरूण चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिडिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदक द्वारा जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 अनुसार मानचित्र प्रस्तुत किये है।</li> <li>2. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। अपेक्षित पार्किंग हेतु नियमानुसार शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. वर्तमान में एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू है, जिसमें नियमानुसार सेटबक व पार्किंग के प्रावधान के परिपेक्ष्य में पूर्व बैठक दिनांक 08.06.2018 के एजेण्डा की प्रति अवलोकनीय है।</li> <li>4. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 तथा एकीकृत भवन विनियम-2017 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है।</li> <li>5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति दिनांक 07.06.2018 प्राप्त है। आवेदक से बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त योजना में पूर्व में अधिकांश पट्टा विलेख भवन विनियम 2013 के अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावे तथा स्वीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाईन माना जावे।</li> <li>2. भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण समान आकार तथा माप के प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत कराये जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावे।</li> </ol>
14.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नं. 309/3 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 7810.00 वर्गगज (6530.16 वर्गमीटर) पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती चन्द्र कुमारी पत्नी श्री उदयमान सिंह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिडिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन में वर्षा जल संग्रहण हेतु कुल 13 युनिट एवं सौर ऊर्जा उपकरण दर्शाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>2. सड़क सीमा में निर्माण के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है तदनुसार मानचित्र में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. एन.बी.सी के प्रावधानानुसार 30 मी. की दूरी में STAIR-CASE दर्शाई जानी अपेक्षित है। तथा हैजारडस SAFELY के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>4. 1 पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर अनुसार पेड़ दर्शाए जाने अपेक्षित है।</li> <li>5. विकलांगों हेतु प्रावधान करते हुए नियमानुसार अन्य संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>6. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>7. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>8. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1, 3, 4 व 5 के कम में संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे।</li> <li>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में सड़क सीमा से निर्माण हटाया जावे जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जावे तथा उक्त की सुनिश्चिता के उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावे।</li> <li>3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 व 7 के कम में अण्डरटेकिंग/ शपथ-पत्र लिया जावे।</li> <li>4. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li> </ol>



15.	दक्षिण	<p>मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शोभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर प्रस्तावित भवन की एवज में राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 157/3, 157/4 क्षेत्रफल 2995.17 वर्गगज (2503.19 वर्गमीटर) पर EWS/LIG आवासीय ईकाईयों के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p> <p>आवेदक:- प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदश, विमल किशोर राठी, निवासी 41 ए/4 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ-पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।</li> <li>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में कार्यालय द्वारा पूर्व में EWS/LIG नहीं बनाये जाने के एवज में जारी शास्ती पत्र की राशि नियमानुसार जमा करायी जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार से प्राप्त पत्र का प्रति उत्तर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ भेजा जावे।</li> <li>3. प्रकरण में शास्ती जमा नहीं किये जाने तक मौके पर निर्माणाधीन भवन को निर्माण बन्द किये जाने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</li> </ol>
15.	(B)	<p>मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शोभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ (गुप हाउसिंग) अनुमोदित भवन मानचित्र में संशोधन बाबत्।</p> <p>आवेदक:- प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदश, विमल किशोर राठी, निवासी 41 ए/4 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2017 के क्रम में समिति द्वारा निर्णय/राज्य सरकार को प्रति उत्तर भेजा जाना प्रस्तावित है।</li> <li>2. प्रकरण में पर्यावरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।</li> <li>3. प्रकरण की प्रस्तावित ऊंचाई 31.05 मीटर है जिसमें प्लिन्थ व स्टिल्ट 1.05+3.0=4.05 मीटर है जो नियमानुसार 1.2+2.8=4.0 मीटर से अधिक है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्टिल्ट की ऊंचाई 2.8 मीटर रखते हुए अनुमोदन किया गया था।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में कार्यालय द्वारा पूर्व में EWS/LIG नहीं बनाये जाने के एवज में जारी शास्ती पत्र की राशि नियमानुसार जमा करायी जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार से प्राप्त पत्र का प्रतिउत्तर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ भेजा जावे।</li> <li>3. प्रकरण में शास्ती जमा नहीं किये जाने तक मौके पर निर्माणाधीन भवन को निर्माण बन्द किये जाने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</li> </ol>
16.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 247 के ब्लॉक संख्या 10 क्षेत्रफल 11616.00 वर्गगज (9710.97 वर्ग मीटर) पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- मैसर्स नवकार केरिंग कॉरपोरेशन जारिये भागीदार श्री महावीर सिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दगीराम, टी.टी. बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में पट्टा विलेख मधु पत्नी श्री इमरताराम के नाम जारी है। (पृष्ठ संख्या 8 से 11) जिसके क्रम में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर प्रार्थना पत्र तथा आम मुखतयार नामा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 से 14 है जो अवलोकनीय है।</li> <li>2. प्रकरण में पूर्ण भूखण्ड की मौका रिपोर्ट लीज व स्वामित्व रिपोर्ट अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>4. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा मौका स्थिति एवं जारी पट्टा विलेख में भिन्नता होने के कारण समस्त रिपोर्ट मूल भूखण्ड अनुसार पुनः प्राप्त किये जाने एवं नियमानुसार सही पाये जाने पर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
17.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत्। एम्स व काजरी परिसर के समानान्तर के भूखण्ड संख्या 03 क्षेत्रफल 41.66 वर्गगज (34.83 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक:- श्री महेश कुमार पुत्र श्री हरमज राम, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। अपेक्षित पार्किंग हेतु नियमानुसार शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>2. वर्तमान में एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू है, जिसके बिन्दु सं. 8.2.2 (ख) के बिन्दु (i) के अनुसार योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान होने पर पार्किंग आवश्यक नहीं है। पूर्व में उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 08 पर भवन निर्माण स्वीकृती जोधपुर भवन विनियम-2013 अनुसार जारी है। जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल पर पार्किंग का प्रावधान</li> </ol>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




			<p>आवश्यक नहीं था।</p> <p>3. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 तथा एकीकृत भवन विनियम-2017 के परिपेक्ष में समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है।</p> <p>4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति व आवेदक से बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-</b></p> <p>1. उक्त योजना में पूर्व में भूखण्ड संख्या 08 पर भवन निर्माण स्वीकृती जोधपुर भवन विनियम-2013 अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावे तथा पूर्व स्वीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाईन माना जावे।</p> <p>2. भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>3. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावे।</p>
18.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 61, 63, 64 व 65 के भूखण्ड संख्या बी-61 क्षेत्रफल 500 वर्गगज (418.06 वर्गमीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p><b>आवेदक:- श्री दिपेश माथुर पुत्र श्री दिनेश चन्द, जोधपुर।</b></p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p><b>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <p>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अप्ण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. वास्तुविद् द्वारा अप्ण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p>4. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बैक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</p> <p>5. उपरोक्तानुसार पेड व वृक्षाजल संरक्षण हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p><b>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-</b></p> <p>1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में सेट बैक क्षेत्र से निर्माण हटाया जावे जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जावे तथा उक्त सुनिश्चिता उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावे।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन निर्माण से पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग से भवन की प्रस्तावित उँचाई के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्राप्त की जावे।</p> <p>3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 के कम में अप्ण्डरटेकिंग/ शपथ-पत्र लिया जावे।</p> <p>4. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के कम में संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे।</p> <p>5. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</p>


अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम रतर से अनुमोदित है।




(महेंद्र सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष  
जोधपुर विकास प्राधिकरण




(दुर्गेश कुमार बिरसा)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण




(विरेंद्र सिंह चौधरी)  
कार्यवाहक सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण



(सुखराम चौधरी)  
निदेशक अभियांत्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण





(श्रवण सिंह राजावत)  
उपायुक्त (पूर्व)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण




(चंदन वर्मा)  
उपायुक्त (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण



  
10.9.2018  
(अनिल पूनिया)  
उपायुक्त (उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण


  
(राकेश शर्मा)  
उपायुक्त (दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

  
(पी.आर. बेनीवाल)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018/ 4743-4753  
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


दिनांक:- 13.09.2018

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ।
10. एसीपी को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट-“1”  
भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।       | अध्यक्ष    |
| 2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।        | संयोजक     |
| 3. श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, कार्यवाहक सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।  | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।          | सदस्य      |
| 6. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | सदस्य      |
| 7. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।   | सदस्य      |
| 8. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।        | सदस्य      |
| 9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।       | सदस्य सचिव |

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)